न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–80/2019 (2019/00222) वादपत्र

अनवान

1. शंकरीदेवी पत्नि हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. पारस आत्मज हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. सुनिल कुमार जैन –

अधिवक्ता वादी

2. हरिश टेलर –

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 23.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट तहसील रायपुर के के खाता संख्या 463 में निम्न वर्णित आराजी संख्या 2344 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 2480 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 2752/2345 रकबा 0.41 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25.11.2021 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में वर्णित आराजियात को वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण रकबा विक्रय कर दिया जिससे सम्पूर्ण खाता केतागण के नाम दर्ज है। वादीया के नाम दर्ज नही होने से विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के आधार पर भूमि वादीया के नाम दर्ज नही होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति प्रकरण में वादीया का वाद में वर्णित भूमि विक्रय कर देने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीया का वाद पत्र में वर्णित भूमि विक्रय कर देने से वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested

23.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–80/2019 (2019/00222) वादपत्र

अनवान

1. शंकरीदेवी पत्नि हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. पारस आत्मज हरलाल जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीया का वाद पत्र में वर्णित भूमि विक्रय कर देने से वाद अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

23.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा).

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:06 IST
Reason: SelfAttested